उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
(उ0प्र0 सरकार अंशधारी शिड्यूल्ड बैंक)
मुख्यालय, 2–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

2025
International Year
of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

पीबीएक्स 0522–4151200
फैक्स 0522–2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्रॉक : बैंकिंग / 2025–26 / एफ–238(III) / 520
दिनॉक : 11 नवम्बर, 2025

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखाएं,
उत्तर प्रदेश।

विषयः पीएम स्वनिधि योजना का पुर्नगठन एवं अवधि विस्तार–संशोधित दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय विभाग, नई दिल्ली द्वारा पत्रांक–16 / 1 / 2021–एमओ–डीएफएस, दिनांक–10.09.2025 के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना का पुर्नगठन एवं अवधि विस्तार के सम्बन्ध में संशोधित दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें उक्त योजना को दिनांक–31 मार्च, 2030 तक बढ़ाया गया है तथा अधिकतम ऋण धनराशि प्रथम एवं द्वितीय ट्रेन्च हेतु क्रमशः 15,000.00 एवं 25,000.00 निर्धारित की गयी है एवं तृतीय ट्रेन्च में पूर्व की भांति रू0 50,000.00 का ऋण वितरित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यालय के पत्रांक–बैंकिंग / व्यव.विविधी. / 2020–21 / 90, दिनांक–30.09.2020 के माध्यम से बैंक में पी0एम0 स्वनिधि योजना लागू की गयी है, जिसके माध्यम से पथ विक्रेताओं को रू0 10,000.00 तक का ऋण 12 माह हेतु स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था थी, तत्क्रम में पीएम स्वनिधि योजना फेज–2 पत्रांक–बैंकिंग / व्यव. / 2021–22 / 110, दिनांक–12.11.2021 के माध्यम से लागू की गयी जिसके माध्यम से पथ विक्रेताओं को न्यूनतम रू0 15,000.00 एवं अधिकतम रू0 20,000.00 तक का ऋण 18 माह हेतु स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था थी। अग्रेतर योजना फेस–2 के संशोधित दिशा निर्देश पत्रांक–बैंकिंग / व्यव. / 2022–23 / 133, दिनांक–23.06.2022 के माध्यम से निर्गत किये गये, जिसके माध्यम से पथ विक्रेताओं को रू0 50,000.00 तक का ऋण 36 माह हेतु स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था थी तथा जिसका विस्तार मार्च 2022 से दिसम्बर 2024 तक किया गया था।

तत्क्रम में बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक–17.10.2025 में पारित प्रस्ताव सं0–05 के माध्यम से वित्त मंत्रालय विभाग, नई दिल्ली द्वारा पत्रांक–16 / 1 / 2021–एमओ–डीएफएस, दिनांक–10.09.2025 के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना का पुर्नगठन एवं अवधि विस्तार के सम्बन्ध में संशोधित दिशा निर्देश पीएम स्वनिधि योजना के सम्बन्ध में पथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृत या वितरित करने हेतु निम्नवत् निर्देशित किया जाता हैः–

1. पीएम स्वनिधि योजना का अवधि विस्तार मार्च, 2030 तक के लिए किया गया है।
2. पीएम स्वनिधि योजना में पथ विक्रेताओं को ऋण की धनराशि (कार्यशील पूंजी) निम्नानुसार 03 चरणों में वितरित की जायेगी, जो कोलेट्रल फ्री होगीः–

लोन टर्म	लोन की धनराशि	ऋण की अवधि
टर्म–1	15,000.00 (Min. loan amt. 5000.00)	12 माह
टर्म–2	25,000.00 (Min. loan amt. 15000.00)	18 माह
टर्म–3	50,000.00 (Min. loan amt. 30000.00)	36 माह

उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक लोन टर्म की पूर्ण अदायगी के उपरान्त ही अगले लोन टर्म हेतु ऋण वितरित किया जायेगा।

3. ऋण की ब्याजदर 12 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गयी है, जिसमें से 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी तथा ब्याज सब्सिडी त्रैमासिक आधार पर ऋणी के खाते में जमा की जायेगी।
4. ब्याज सब्सिडी केवल उन ऋण खातों के लिए ही लागू होगी, जो सम्बन्धित दावों की तिथियों को मानक (वर्तमान आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार गैर एनपीए) के रूप में वर्गीकृत हैं और उस तिमाही के महीनों के दौरान खाता मानक के रूप में वर्गीकृत रहा है।
5. 31 मार्च, 2030 तक वितरित समस्त ऋण सब्सिडी पाने के पात्र होंगे। इन्ट्रेस्ट सब्सिडी का क्लेम 31 मार्च 2033 तक किया जा सकेगा।
6. प्रथम एवं द्वितीय ट्रेन्च हेतु प्रोसेसिंग फीस नहीं चार्ज की जायेगी, परन्तु तृतीय ट्रेन्च हेतु बैंक द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जायेगी।
7. उक्त योजनान्तर्गत ऋणी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
8. ऋणी का सम्बन्धित शाखा में बचत खाता अवश्य खुला होना चाहिए।
9. उक्त योजनान्तर्गत ऋण वितरण सीधे पथ विक्रेता के बैंक बचत खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।
10. उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित तिथि से पूर्व ऋण वापसी करने पर पथ विक्रेताओं पर कोई पूर्व भुगतान दण्ड नहीं लगाया जायेगा।
11. उक्त योजनान्तर्गत ऋण की वसूली लोन टर्म के अनुसार मासिक ईएमआई किस्तें बनाकर की जायेंगी।
12. उक्त योजनान्तर्गत आधार कार्ड, बचत बैंक खाता पास बुक/बैंक स्टेटमेण्ट, बचत खाते से लिंक यूनीक/वैलिड यूपीआई आईडी, लैटर ऑफ कॉन्टीन्यूटी तथा नामिनल मैम्बरशिप आदि ऋणी से प्राप्त किये जायेंगे।
13. उक्त योजनान्तर्गत डिमाण्ड प्रॉमिसरी नोट एवं अण्डरटेकिंग लिया जाना आवश्यक है।
14. अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले पथ विक्रेताओं से यूएलबी/टीवीसी (अर्बन लोकल बॉडीज़/टाउन वेण्डिंग कमेटी) द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेण्डिंग/आईडी कार्ड/लेण्टर ऑफ रिकमण्डेशन प्राप्त किया जायेगा।

   या

   जनगणना कस्बों, अर्द्धशहरी क्षेत्रों आदि में कार्यरत पथ विक्रेता से ब्लॉक डेवेलपमेण्ट आफिसर द्वारा अनुमोदित लेंटर ऑफ रिकमण्डेशन प्राप्त किया जायेगा।
15. उक्त योजना में ऋण की पात्रता हेतु सिबिल स्कोर की आवश्यकता नहीं है परन्तु ऋणी का सिबिल स्कोर डाउनलोड किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऋणी का कोई ऋण खाता एनपीए की श्रेणी में न हो अथवा ऋण खाते में राईट ऑफ की कार्यवाही न चल रही हो, यदि ऋणी का कोई ऋण पूर्व में एनपीए है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा। सिबिल रिपोर्ट प्राप्त करने की फीस ऋणी से जीएसटी सहित ली जायेगी।
16. उक्त योजना में उद्यम रजिस्ट्रेशन एवं प्रोजैक्ट प्रपोज़ल की आवश्यकता नहीं है।
17. योजनान्तर्गत ट्रेन्च–3 में स्टॉक की घोषणा/फण्ड के यूज का एक बार डिक्लेरेशन लिया जाना होगा।

18. शाखा द्वारा योजनान्तर्गत वितरित किये गये ऋणों की स्वीकृति एवं वितरण की जानकारी को नियमित रूप से पीएमएस (पीएम स्वनिधि) पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा।
19. यह स्कीम सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर से आच्छादित है, जो कि पोर्टफोलियो स्तर पर संचालित है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

प्रकार	टर्म–1		टर्म–2		टर्म–3	
	पोर्टफोलियो	कवरेज	पोर्टफोलियो	कवरेज	पोर्टफोलियो	कवरेज
प्रथम हानि	0 से 7.5%	100%	0 से 3%	100%	0 से 8%	75%
द्वितीय हानि	7.5% से ऊपर 20% तक	75%	3% से ऊपर 10% तक	75%		
तृतीय हानि	20% से ऊपर 50% तक					
अधिकतम गारण्टी कवर	50%		10%		8%	
प्रभावी गारण्टी कवर	31.87%		8.25%		6%	

उक्त गारण्टी कवर में क्लेम 31 मार्च, 2033 के बाद के स्वीकार्य नहीं होगें।

20. उक्त के अतिरिक्त पीएम स्वनिधि योजना के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत परिपत्रों के माध्यम से लागू अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगीं।

11.11.25

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक (आईडीडी), उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि जो जिला सहकारी बैंक सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर योजना से आच्छादित हैं, उन जिला सहकारी बैंकों को उक्त योजना अपने बैंक में लागू कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें।
5. महाप्रबन्धक (विकास), उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजना के प्रचार–प्रसार हेतु बैनर/पोस्टर डिजाईन करवाते हुए समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. प्रोजैक्ट मैनेजर, मेगासॉफ्ट प्रा0 लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार सीबीएस सॉफटवेयर में आवश्यक संशोधन कराना सुनिश्चित करें।
7. श्री राहुल श्रीवास्तव, प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त परिपत्र को बैंक की वेब साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
9. स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 मुख्यालय, लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।

11.11.25

प्रबन्ध निदेशक